राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602, 2385877 FAX)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

"Awareness, Coaching and Mentoring Programmes"

जैसा कि विदित है कि एम.सी.पी.सी. (MCPC) के द्वारा राजस्थान राज्य के सात मध्यस्थों को नई दिल्ली में टी.ओ.टी. (Training Of Trainers) का प्रशिक्षण दिनांक 22 से 24 जुलाई, 2016 को दिया गया था और उनके अनुसार के द्वारा इन सात मध्यस्थों में 40 घंटे की मध्यस्थता ट्रेनिंग देने के लिए प्रशिक्षक बनने की क्षमता बताई गई है, किंतु उक्त प्रशिक्षक बनने से पूर्व इन सभी सात मध्यस्थ प्रशिक्षकों के द्वारा तीन–तीन **"Awareness, Coaching and Mentoring Programmes"** एवं तीन–तीन **"20-hour refresher courses"** आयोजित करने हैं।

सुविधा की दृष्टि से इन सभी 07 प्रशिक्षक मध्यस्थों को तीन ग्रुपों में बाँटा गया है और प्रत्येक ग्रुप में एक अधिवक्ता रखा गया है। ग्रुप अ में श्रीमती अर्चना मिश्रा एवं अधिवक्ता श्री कुलदीप जैन, अलवर, ग्रुप बी में श्री बालकृष्ण गोयल, श्री नीरज भारद्वाज एवं अधिवक्ता श्रीमती प्रमिला आचार्य, जोधपुर तथा ग्रुप सी में श्री गोविन्द अग्रवाल एवं अधिवक्ता श्री पुरूषोत्तम शर्मा, सीकर को रखा गया है।

प्रत्येक ग्रुप के द्वारा तीन–तीन ए सी एम कार्यक्रम एवं तीन–तीन रिफ्रेशर कार्यक्रम आयोजित करने हैं। इस प्रकार कुल नौ ACM कार्यक्रम एवं नौ "20-hour refresher courses" कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तीन "Awareness, Coaching and Mentoring Programmes" में न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पक्षकार एवं विधि के छात्र भाग लेंगे तथा तीन "20-hour refresher courses" में न्यायिक अधिकारीगण एवं अधिवक्ता मध्यस्थ, जिनके द्वारा 10 सफल प्रकरण मध्यस्थता द्वारा निस्तारित किए गए हैं, भाग लेंगे।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशन में उक्त दोनों कार्यक्रमों के लिए दिनांक एवं स्थल निर्धारित कर लिए गए हैं। ये कार्यक्रम जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर एवं सवाई माधोपुर मुख्यालयों पर आयोजित किये जा रहे हैं और इन जिलों के आस–पास के जिलों के प्रतिभागी उसमें भाग ले रहे हैं। तीनों ही ग्रुप एक ही दिन पृथक–पृथक जिला मुख्यालयों पर एक साथ एक–एक ए.सी. एम. कार्यक्रम आयोजित करेंगे तथा तीनों ACM कार्यक्रमों की सूची निम्न प्रकार से है।

ग्रुप	ग्रुप–अ	ग्रुप–ब	ग्रुप–स	दिनांक
जिला	भरतपुर (दौसा, अलवर एवं धौलपुर)	अजमेर (पाली एवं नागौर/मेड़ता सिटी	चित्तोड़गढ़ (भीलवाड़ा एवं प्रतापगढ़)	18.09.16 एवं 19.09.16
	कोटा (बारां, बूंदी एवं झालावाड़)	बीकानेर (चूरू, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर एवं हनुमानगढ़)	उदयपुर (डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा एवं सिरोही)	16.10.16 एवं 17.10.16
	जयपुर (जिला एवं महानगर)	जोधपुर (जालोर, बाड़मेर/बालोतरा एवं जैसलमेर)	सवाई माधोपुर (करौली एवं टोंक)	05.11.16 एवं 06.11.16

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602, 2385877 FAX)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये नोडल अधिकारी–

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उद्देश्यों की पूर्ति एवं सफलतापूर्ण क्रियान्वयन के लिए सभी कार्यक्रम संबंधित अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सतत् निगरानी में क्रियान्वित किए जायेंगे और संबंधित अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा संबंधित स्थल पर किसी वरिष्ठ, योग्य एवं सक्षम अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जायेगा और उसका सहयोग संबंधित पूर्णकालिक सचिव के द्वारा किया जायेगा तथा दोनों अधिकारी सामंजस्यपूर्ण तरीके से कार्यक्रम से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को देखेंगे और साथ ही निर्धारित रूप रेखा के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से संपादित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षित मध्यस्थ एवं प्रतिभागियों की व्यवस्था–

सभी प्रशिक्षक मध्यस्थ और प्रतिभागियों के ठहरने व खाने–पीने की व्यवस्था संबंधित अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निगरानी में नियुक्त नोडल अधिकारी एवं पूर्णकालिक सचिव के द्वारा की जायेगी। अतः इस संबंध में सभी प्रशिक्षक मध्यस्थ एवं प्रतिभागियों के लिए यह उचित रहेगा कि वे निर्धारित स्थान पर पहुँचने से पूर्व संबंधित नोडल अधिकारी एवं पूर्णकालिक सचिव से संपर्क कर लें।

योग्यता एवं दक्षता का परीक्षण–

इन दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उपरान्त सभी सातों प्रशिक्षित मध्यस्थों की योग्यता एवं दक्षता का परीक्षण मध्यस्थता निगरानी समिति, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के द्वारा किया जावेगा और समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट MCPC, उच्चतम न्यायालय को प्रेषित की जायेगी, ताकि उनके द्वारा इन प्रशिक्षक मध्यस्थों के माध्यम से 40 घंटे का मध्यस्थता कार्यक्रम आयोजित करवाया जा सके।

प्रतिभागियों की सूची–

"Awareness, Coaching and Mentoring Programmes" में न्यायिक अधिकारीगण, पांच अधिवक्तागण, पांच पक्षकार एवं पांच विधि के छात्र भाग लेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारीगण की सूची निम्न प्रकार से है–

जिला मुख्यालय भरतपुर हेतु–

क्र. सं.	न्यायिक अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर
1.	श्री सुरेन्द्र मोहन शर्मा	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर	8003395831
2.	श्री सुशील कुमार शर्मा (जज इन्चार्ज, मध्यस्थ)	अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–2, भरतपुर	9414279593
3.	श्रीमती अर्चना मिश्रा (प्रशिक्षक मध्यस्थ)	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भरतपुर	9413732001
4.	श्री संदीप आनन्द	पूर्णकालिक सचिव, भरतपुर	9928877965
5.	नीतू भारद्वाज	ए.सी.जे. एवं जे.एम. संख्या–1,भरतपुर	9352966784
6.	श्री राजेन्द्र साहू	ए.सी.जे. एवं जे.एम. संख्या–2,भरतपुर	9413540900
7.	रिचा कौशिक	ए.सी.जे. एवं जे.एम. संख्या–4,भरतपुर	9887662309
8.	श्री सुमन मीणा	सी.जे. एवं जे.एम. वैर, भरतपुर	7665026665
9.	श्री प्रताप सिंह मीणा	सी.जे. एवं जे.एम. रूपबास, भरतपुर	9414748929

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602, 2385877 FAX)
(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

10.	श्री मनोज सिंह फौजदार	जे.एम., दौसा	9413160735
11.	श्री देवेन्द्र कुमार	जे.एम., लालसोट, दौसा	9887180065
12.	श्री अनुप कुमार	जे.एम., बांदीकुई, दौसा	9950959452
13.	सुश्री अनिता चौधरी	जे.एम., महवा, दौसा	9530458111
14.	श्री अमित कुमार शर्मा	जे.एम., संख्या–2, अलवर	9602082646
15.	पायल गौतम	स्पेशल जे.एम. (एन.आई.एक्ट केसेज) संख्या–1, अलवर	7568145203
16.	श्वेता शर्मा– तृतीय	स्पेशल जे.एम. (एन.आई.एक्ट केसेज) संख्या–2, अलवर	9785137291
17.	नेहा प्रिया	ए.सी.जे.एवं जे.एम.,संख्या–2, अलवर	8290386234
18.	श्री रिंकू कुमार	ए.सी.जे.एवं जे.एम.,संख्या–3, अलवर	9461253244
19.	श्री इन्द्रजीत पंवार	सी.जे.एवं जे.एम., किशनगढ़बास, अलवर	9496601299
20.	श्री गजपाल सिंह	सी.जे.एवं जे.एम.,राजगढ़, अलवर	8963816073
21.	श्री सुरेन्द्र सोनी	सी.जे.एवं जे.एम.,लक्ष्मणगढ़, अलवर	8947921182
22.	श्री सुभाष चन्द्र कोटीया	सी.जे.एवं जे.एम.,तिजारा, अलवर	8560987778
23.	श्री रविन्द्र प्रताप सैनी	सी.जे.एवं जे.एम., बानसुर, अलवर	9828466284
24.	श्री रणवीर सिंह	जे.एम.,राजाखेड़ा, धौलपुर	9414595757
25.	कु0 अंकिता सिंघल	जे.एम, धौलपुर	9818321051
26.	श्री बृजेश कुमार	जे.एम., बाड़ी, धौलपुर	9875200299

जिला मुख्यालय अजमेर हेतु–

क्र.सं.	न्यायिक अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर
1.	श्री विष्णुदत्त शर्मा	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर	8003395823
2.	श्री राजवीर सिंह (जज इन्चार्ज, मध्यस्थ)	पीठासीन अधिकारी (अपील किराया अधिकरण) अजमेर	9414413582
3.	श्री बालकृष्ण गोयल (प्रशिक्षक मध्यस्थ)	अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश–2, अजमेर	9414328970
4.	श्री नीरज कुमार भारद्वाज (प्रशिक्षक मध्यस्थ)	अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश–2, सीकर	9414008120
5.	श्री राकेश गोरा	पूर्णकालिक सचिव, अजमेर	9414269834
6.	श्रीमती उत्तमा माथुर	ए.सी.जे.एवं जे.एम, पूर्व, अजमेर	9414130702
7.	श्रीमती पूर्वा चतुर्वेदी	ए.सी.जे.एवं जे.एम, उत्तर, अजमेर	7597901048
8.	श्री आशीष कुमार कुमावत	ए.सी.जे.एवं जे.एम, दक्षिण, अजमेर	9828171200
9.	श्री सागर माथुर	ए.सी.जे.एवं जे.एम, संख्या–1, अजमेर	9680464720
10.	श्रीमती हेमलता धनाड़िया	ए.सी.जे.एवं जे.एम, संख्या–4, अजमेर	9928696085
11.	श्रीमती मिनाक्षी तिवारी	ए.सी.जे.एवं जे.एम, संख्या–6, अजमेर	7877301243
12.	श्रीमती सुरभि सिंह	एन.आई.एक्ट. न्यायालय संख्या–1, अजमेर	9414782822
13.	श्री महेन्द्र शर्मा	एन.आई.एक्ट. न्यायालय संख्या–3, अजमेर	9413765964
14.	श्री अरूण जांगिड़	जे.एम., मेड़ता, मेड़ता सिटी	8385025257
15.	श्री विजय कोचर	जे.एम., नागौर	9413388777
16.	श्री कन्हैया लाल पारीक	जे.एम., डीडवाना, नागौर	9414547152
17.	श्री संजय कुमार	जे.एम., मकराना, नागौर	9414402552
18.	माधवी राजवीर	जे.एम, लाड़नू, नागौर	9983959988
19.	श्री कृष्णकान्त	जे.एम, कुचामन, नागौर	9460024200
20.	श्री चन्द्र प्रकाश पाटीदार	ए.सी.जे एवं जे.एम, मेड़ता, नागौर	9414349663
21.	श्री महेश कुमार	ए.सी.जे एवं जे.एम, नागौर	8764284932
22.	श्री नवीन कुमार झरवाल	जे.एम, पाली	8560839584

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602, 2385877 FAX)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: ri-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

23.	सुश्री सुनीता बेड़ा	विशिष्ट जे.एम.,एन आई एक्ट, पाली	8387922777
24.	सुश्री रचना मीणा	जे.एम., पाली	9001049992
25.	श्री रविन्द्र सिंह यादव	जे.एम., बाली, पाली	9001591091
26.	सुश्री रितिका चौहान	जे.एम., सोजत, पाली	8384976725
27.	श्री रूपेन्द्र चौहान	जे.एम., जैतारण, पाली	9460145435
28.	श्री सत्य प्रकाश वैरागी	जे.एम., सुमेरपुर, पाली	9460285202

जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ हेतु–

क्र. सं.	न्यायिक अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर
1.	श्री रामेश्वर व्यास	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़	8003395839
2.	श्री महेन्द्र कुमार मेहता (जज इन्चाज, मध्यस्थ)	अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–1, भीलवाड़ा	9413363777
3.	श्री गोविन्द अग्रवाल (कार्यक्रम प्रशिक्षक)	अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1, चित्तौड़गढ़	9414531387
4.	श्री प्रेमराज सिंह चन्द्रावत	पूर्णकालिक सचिव, चित्तौड़गढ़	8003395840
5.	सुश्री ममता सैनी	जे एम, चित्तौड़गढ़	9880552797
6.	श्री ब्रम्हानंद शर्मा	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़	9413200973
7.	श्रीमती मनी वालिया	विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई. एक्ट प्रकरण, चित्तौड़गढ़	9314487771
8.	श्री संजय कुमार मालवीय	न्यायिक मजिस्ट्रेट, निम्बाहेडा, चित्तौड़गढ़	7737631302
9.	श्री रवि प्रकाश बाकोलिया	न्यायिक मजिस्ट्रेट,बड़ी सादड़ी, चित्तौड़गढ़	9461350578
10.	श्रीमती दिप्ती श्रीवास्तव	न्यायिक मजिस्ट्रेट, कपासन, चित्तौड़गढ़	9982338665
11.	सुश्री दीपा शर्मा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेगू, चित्तौड़गढ़	9829691109
12.	श्री मुकेश कुमार	न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगला, चित्तौड़गढ़	9413411035
13.	श्री विकास मारग	न्यायिक मजिस्ट्रेट, राशमी, चित्तौड़गढ़	9460166666
14.	MS डिम्पल जंदेल	जे.एम. संख्या 02, भीलवाड़ा	9828371097
15.	श्री योगेश यादव	जे एम, आसिंद, भीलवाड़ा	9314638772
16.	श्री सुरेश कुमार द्वितीय	जे एम, कोटरी, भीलवाड़ा	8741858665
17.	श्रीमती श्वेता दाधीच	जे एम – 01, भीलवाड़ा	9460002401
18.	श्री पंकज कुमार काबरा	जे एम, ईस्ट, भीलवाड़ा	8441916590
19.	श्री अंकित दवे	जे एम, ईस्ट, भीलवाड़ा	9462700249
20.	देवांगिनी ओदिच्य	एन.आई–01, भीलवाड़ा	9251375231
21.	श्री शैलेन्द चौधरी	जे.एम., शाहपुरा, भीलवाड़ा	9828070304
22.	श्री सिद्धार्थ संधू	जे.एम., मांडल, भीलवाड़ा	9413225200
23.	श्रीमती साधना सिंह	जे.एम., मांडलगढ़, भीलवाड़ा	9636677594
24.	श्री अंकुश भादोरिया	जे.एम., जहाजपुर, भीलवाड़ा	9610094979
25.	श्री नगेन्द्र सिंह	जे.एम., बिजोलिया, भीलवाड़ा	8003360972
26.	श्री कुलदीप राव	जे.एम., प्रतापगढ़	7597146042
27.	श्री पीयुष जैलिया	ऐ.सी.जे. एवं जे.एम., प्रतापगढ़	9166662040

Madan B. Lokur
Judge
Supreme Court of India

4, Akbar Road
New Delhi-110011
Phone : 23014102
Fax : 23014107
E-mail : madanlokur@nic.in

August 10, 2016

Executive Chairman
ASLSA
17/8/16
4791
17-8-2016

Sub: Training of Trainers Programme in mediation

Dear Chief Justice,

As you are aware, a Training of Trainers programme in mediation was conducted in Delhi from 22nd to 24th July, 2016.

The Master Trainers deputed by the MCPC have reported that the following 7 mediators have the potential to become Trainers. Their services may be utilized for conducting at least three awareness, coaching and mentoring programmes in the district courts and at least three 20 hour refresher courses each for the mediators who have completed at least 10 successful mediations.

Sl.No.	Name of the Participant
1.	Ms. Archana Mishra
2.	Sh. Govind Aggarwal
3.	Sh. Kuldeep Kumar Jain
4.	Ms. Promila Acharya
5.	Sh. Bal Krishan Goyal
6.	Sh. Purushottam Sharma
7.	Sh.Neeraj Kumar Bharadwaj

After the above mediators conduct the aforesaid programmes, their suitability and potential may be assessed by the High Court Mediation Committee with information to the MCPC so that they may conduct 40 hour mediation training programmes.

Contd...2/-

Madan B. Lokur
Judge
Supreme Court of India

4, Akbar Road
New Delhi-110011
Phone : 23014102
Fax : 23014107
E-mail : madanlokur@nic.in

The curriculum for the awareness, coaching and mentoring programme and 20 hour refresher course is attached herewith.

With best wishes,

Yours sincerely,

(Madan B. Lokur)

Hon'ble Mr. Justice Navin Sinha,
Chief Justice,
Rajasthan High Court,
JODHPUR

Copy to :

Hon'ble Mr. Justice Ajay Rastogi,
Chairperson, Mediation Monitoring Committee,
Rajasthan High Court,
JAIPUR.

Send SLSA
action plan be prepared
& be placed for further
action 17/8

AWARENESS, COACHING AND MENTORING PROGRAMME

DURATION : (1 ½ DAY)
PARTICIPANTS : (JUDICIAL OFFICERS, ADVOCATES, LITIGANTS, STUDENTS ETC.)

DAY - 1

TIME	SESSIONS	STUDY TOPIC
10.30 PM TO 1.30 PM	SESSION 1	ADR : Relevance with special reference to Section 89, Code of Civil Procedure, 1908: Types of ADR **Mediation:** Definition Components Difference between mediation and judicial process Difference between Mediation and Lok Adalat Difference between Mediation and Panchayat Benefits of Mediation Role of Mediators
2.15 PM TO 3.15 PM	SESSION II	ROLE OF DIFFERENT STAKE HOLDERS INCLUDING LAWYERS IN MEDIATION
3.15 PM TO 3.30 PM	SESSION III	SCREEENING OF DOCUMENTARY
3.30 PM TO 4.30 PM	SESSION IV	INTERACTIVE SESSION WITH THE PARTICIPANTS

Note : Lunch : 1.30 PM to 2.15 PM

DAY - 2

TIME	SESSIONS	STUDY TOPIC
TIME: 10.00 AM TO 12.30 PM	SESSION - I	LIVE MEDIATION SESSIONS (COACHING AND MENTORING SESSION OF THE MEDIATORS WITH THE TRAINERS)
12.30 PM TO 1.30 PM	SESSION – II	INTERACTIVE SESSION OF MEDIATORS WITH TRAINERS

No. Gen/XV(TRNG.)/52/2016/ 5114 Date. 8/9/16

From. **Registrar General,**
Rajasthan High Court,
Jodhpur.

To. **Member Secretary,**
Rajasthan State Legal Services Authority,
Jaipur.

Ref. Your office letter No. 8515 dated 06.09.2016.

Sub. Participation in training programme under trained mediators - reg.

Sir,

With reference to your above cited letter on the subject, I am directed to inform that Hon'ble the Chief Justice has been pleased to nominate all the Judicial Officers, as mentioned in the enclosed lists, to attend the **"Awareness, Coaching and Mentoring programmes"** scheduled to be held on 18th & 19th September, 2016 at respective district headquarter.

Yours faithfully,

8/9/16
REGISTRAR (ADMN.)

DS(Admn)
9.9.16

5771
14.9.16

File
14/9/16

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

क्रमांकः रालसा/ दिनांकः 12.09.2016

कार्यालय आदेश

माननीय न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय एवं माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेशानुसार 07 प्रशिक्षक मध्यस्थों के माध्यम से तीन–तीन **"Awareness, Coaching and Mentoring Programmes"** एवं तीन–तीन **"20-hour refresher courses"** आयोजित किए जाने हैं। Awareness, Coaching and Mentoring Programmes में न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पक्षकार एवं विधि छात्र भाग लेंगे। इसी प्रकार 20-hour refresher courses में न्यायिक अधिकारीगण एवं अधिवक्ता मध्यस्थ, जिनके द्वारा 10 सफल प्रकरण मध्यस्थता द्वारा निस्तारित किए गए हैं, भाग लेंगे। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेशानुसार प्रशिक्षक मध्यस्थों, प्रतिभागी न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण एवं अधिवक्ता मध्यस्थों के मानदेय, यात्रा एवं दैनिक भत्ते के भुगतान के संबंध में निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है–

1. प्रत्येक प्रशिक्षक मध्यस्थ अधिवक्ता को प्रत्येक प्रशिक्षण दिवस हेतु 1000/– का मानदेय दिया जावेगा। आधे प्रशिक्षण दिवस हेतु 500/– का मानदेय दिया जावेगा।
2. प्रशिक्षक मध्यस्थ, जिसमें न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ता दोनों सम्मिलित हैं, को अपने कार्यस्थल से कार्यक्रम स्थल तक आने–जाने की यात्रा करने के लिए द्वितीय श्रेणी की वातानुकूलित रेल सेवा/डीलक्स रोड़वेज बस सेवा/स्वयं के निजी वाहन से यात्रा करने पर 4.5 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से वास्तविक दूरी का भुगतान (पेट्रोल/डीजल की गाड़ी की प्रकृति के अनुसार) किया जावेगा और टोल संबंधी रसीद पेश करने पर उसका भी भुगतान किया जावेगा।
3. प्रतिभागी अधिवक्ता मध्यस्थ/अधिवक्ता को अपने कार्यस्थल से कार्यक्रम स्थल तक आने–जाने की यात्रा करने के लिए तृतीय श्रेणी की वातानुकूलित रेल सेवा/डीलक्स रोड़वेज बस सेवा/स्वयं के निजी वाहन से यात्रा करने पर 4.5 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से वास्तविक दूरी का भुगतान (पेट्रोल/डीजल की गाड़ी की प्रकृति के अनुसार) किया जावेगा और टोल संबंधी रसीद पेश करने पर उसका भी भुगतान किया जावेगा।
4. प्रशिक्षक मध्यस्थ/प्रतिभागी अधिवक्ता/प्रतिभागी मध्यस्थ, यदि रेल या बस सेवा से अपने कार्यस्थल से कार्यक्रम स्थल पर आते हैं तो रेल व बस स्टैण्ड से विश्राम स्थल तक आने–जाने के लिए जयपुर में 60+60=120/–रुपये एवं कोटा, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर में 45+45=90/–रुपये तथा अन्य

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)
(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

स्थानों पर ऑटो किराया के रूप में 25+25=50/—रुपये देय होगा। यदि इससे अधिक कोई व्यय होता है तो उसका वहन स्वयं के द्वारा किया जावेगा।

5. प्रतिभागी न्यायिक अधिकारियों को अपने कार्यस्थल से कार्यक्रम स्थल तक आने—जाने के यात्रा व्यय एवं दैनिक भत्तों का पुनर्भुगतान उनके पदस्थापित स्थान के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निर्धारित राजकीय यात्रा भत्तों के अनुसार देय होगा।
6. प्रशिक्षक न्यायिक अधिकारी को दैनिक भत्ता राजकीय नियमानुसार देय होगा।
7. प्रतिभागियों एवं स्थानीय अधिकारियों को कोई भी दैनिक भत्ता नहीं दिया जावेगा।
8. (क) प्रशिक्षक मध्यस्थ, जिसमें न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ता दोनों सम्मिलित हैं, अन्य मुख्यालय के प्रतिभागी न्यायिक अधिकारीगण एवं प्रतिभागी मध्यस्थतों के ठहरने एवं रात्रि भोजन की व्यवस्था (ख) सभी प्रशिक्षक मध्यस्थ, प्रतिभागियों एवं अन्य उपस्थित अधिकारियों के चाय—नाश्ता, लन्च एवं हाई टी संबंधी व्यवस्था जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा की जावेगी।
9. उक्त सभी व्यय मित्तव्ययता बरतते हुए धारा 4(सी) में आवंटित बजट से किए जावेंगे।

एस.के. जैन
सदस्य सचिव

क्रमांकः रालसा/ दिनांकः 12.09.2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार—कम—प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय न्यायाधिपति श्री अजय रस्तोगी, प्रशासनिक न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय न्यायाधिपति श्री जी. के. व्यास, न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं सदस्य, मध्यस्थता निगरानी समिति, जोधपुर।
4. निजी सचिव, माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक, न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं जज इन्चार्ज, मिडियेशन, जयपुर।
5. निजी सचिव, माननीय न्यायाधिपति श्री संगीत राज लोढा, न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं जज इन्चार्ज, मिडियेशन, जोधपुर।
6. अध्यक्ष, समस्त सम्बंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान।
7. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

अनुतोष गुप्ता
उप सचिव
एक्शन प्लान एण्ड ए.डी.आर